फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

भारतीय स्टेट बैंक बनाम साक्षी फूड प्रोडक्ट व अन्य

प्रकरण संख्या 282/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
3.01.2021	प्रार्थी वित्तीय संस्था–बैक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान–बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.02.2021 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	
23-2-21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने सक्षम प्राधिकारी की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। 23/2/21 जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	